# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 145/2011

1. राजाराम पुत्र स्व0 श्योबक्ष जाति काछी ।
2. राधा बाई पुत्री स्व0 श्योबक्ष (पत्नी मांगीलाल) जाति काछी निवासीगण ग्राम ऑवा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
3. शंकरी बारई पुत्री स्व0 श्योबक्ष पत्नी बाबू लाल जाति काछी निवासी ग्राम बपावर कला तहसील सांगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

## बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र स्व0 रामनारायण काछी मृतक जरिये कायममुकामान :—
   1/1. रूकमणी बाई पुत्री स्व0 रामचन्द्र पत्नी नाथूलाल जाति काछी ।
   1/2. कल्याणी बाई पुत्री स्व0 रामचन्द्र पत्नी रामरतन जाति काछी ।
   1/3. दीनदयाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र आयु 37 वर्ष जाति काछी ।
   1/4. चम्पा लाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र आयु 34 वर्ष जाति काछी ।
   1/5. पप्पू लाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र आयु 31 वर्ष जाति काछी ।
   1/6. धनराज पुत्र स्व0 रामचन्द्र आयु 29 वर्ष जाति काछी ।
   1/7. संतोष बाई उर्फ सन्तो बाई पुत्री स्व0 रामचन्द्र पत्नी पप्पूलाल जाति काछी ।
   1/8. भगवान पुत्र स्व0 रामचन्द्र आयु 25 वर्ष जाति काछी ।
   1/9. परमानन्द पुत्र स्व0 रामचन्द्र आयु 23 वर्ष जाति काछी ।
   1/10. पौरू लाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र आयु 21 वर्ष जाति काछी ।
   1/11. विष्णु पुत्र स्व0 रामचन्द्र आयु 19 वर्ष जाति काछी निवासीगण ग्राम आवॉ तहसील सांगोद जिला कोटा ।
2. सत्यनारायण पुत्र स्व0 श्योबक्ष जाति काछी निवासी ग्राम आवॉ तहसील सांगोद जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री द्वारका लाल नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

## निर्णय

दिनांकः 06.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.2011के विरूद्ध पेश की गई है ।

तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 मृतक रामचन्द्र ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम आवां तहसील कनवास की कुल आराजी रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा में अपना 1/2 हिस्सा बताते हुए वाद प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

3. प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.2011 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार मानते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.2011 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया है।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र का न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जाना न्यायोचित नहीं है । उक्त दस्तावेजात अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में ही प्रस्तुत किये जाने चाहिए थे । अपीलीय न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र से अपीलान्ट कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

9. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं प्रमाणित प्रतियॉ हैं जिन्हें न्याहित में रिकॉर्ड पर लिया जा सकता है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाता है ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय की पालना में प्राथमिक डिक्री बनाई गई है किन्तु प्राथमिक डिक्री में वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बरान एवं रकबा अंकित नहीं किया गया है और न ही वादग्रस्त आराजी किस गॉव में स्थित है इसका उल्लेख किया गया है इसलिए

[illegible] डिक्री अस्पष्ट एवं नोन स्पीकिंग एवं अवैध होने से निरस्तनीय है । प्रस्तुत [illegible] वादी का 1/2 हिस्सा फौती इंतकाल अपीलान्ट को बिना सूचना दिये चुपचाप तरीके से [illegible] गया है अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर [illegible] जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम करने के उपरान्त भी दावा पत्रावली पर स्थित दस्तावेजी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य का प्रत्येक तनकीवाईज स्पष्ट रूप से बिना उल्लेख किये और बिना विवेचन किये निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.2011 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई उसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने जवाबदावा के साथ कोई काउन्टर क्लेम आदि भी प्रस्तुत नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एंव जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.2011 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया है । चूँकि उक्त दस्तावेजात का विचारण न्यायालय में पक्षकारान की साक्ष्य एवं दस्तावेजात से ही निर्णय किया जाना है । उक्त दस्तावेजात का वाद पर क्या असर रहता है यह विचारण न्यायालय ही तय करेगा, प्रकरण से सम्बन्धित विवाद के और भी कोई बिन्दु हो तो उन पर भी अधीनस्थ न्यायालय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय कर सकेगा । ऐसी स्थिति में हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 29.09.2011 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 22.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कनवास में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 06.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा